उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का संकलन

संख्या–73 /VI-I/2008–5(8)2007

प्रेषक,

राकेश शर्मा
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति अनुभाग– देहरादून: दिनांक: 03 मार्च 2008

विषयः–कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासी यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के आयोजन तथा व्यवस्था में उत्तराखण्ड राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका एवं उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के यात्रा में सम्मिलित होने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त"कैलाश मानसरोवर यात्रा" में सम्मिलित होने वाले राज्यवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिये जाने के निर्णय पर श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासियों, भले ही वे किसी भी धर्म या जाति के हों, को उत्तराखण्ड राज्य सरकार की ओर से रू0 25.00 हजार की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाय।

3. अनुदान उन्ही यात्रियों को देय होगा जिनको वर्तमान में लागू प्रकिया के अनुसार भारत सरकार द्वारा यात्रा में सम्मिलित होने हेतु चयनित किया गया हो तथा जिनके द्वारा यात्रा पूर्ण कर ली गई हो।

4. अनुदान स्वरूप रू0 25.00 हजार की प्रतिपूर्ति यात्रा पूर्ण होने के पश्चात की जायेगी।

5. आवेदक द्वारा अनुदान स्वीकृति हेतु, यात्रा में सम्मिलित होने के साक्ष्य के तौर पर भारत सरकार के सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र निदेशक, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक,संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा आवेदक तथा यात्रा सम्बंधी पुष्टि करने के पश्चात अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

6 उक्त पर आने वाला व्यय अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205 कला एवं संस्कृति 102 कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन–31–धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेशवासियों को अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–32/VI-I/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव